न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12096 निगरानी

रामकृपाल सिंह पुत्रहरगोविन्द सिंह,
निवासी ग्राम सुखपुरा, तहसील जौरा,
जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

------- प्रार्थी

बिरुद्ध

चन्दन सिंह पुत्र करन सिंह, निवासी- ग्राम सुखपुरा, तहसील जौरा जिला मुरैना-म०प्र०)।

------ प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिरुद्ध आदेश एस०डी०ओ० महोदय जौरा जिला मुरैना दिनांकी ६-२-१६, अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ प्र०क्र० ६४।१३-१४ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के समक्ष प्रतिप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सरासर अवधि बाह्य होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के समक्ष विलम्ब दामा के संबंध में तथ्यों को छिपाकर असत्य तथ्यों के आधार पर प्रतिप्रार्थी की ओर से विलम्ब दामा का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका

क्रमशः---२

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 753–एक/16 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
6.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित होकर यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जौरा के प्रकरण कमांक 34/अपील/2013–14 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9.2.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि आवेदक रामकृपाल सिंह पुत्र हरगोविन्द सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सुखपुरा तहसील जौरा जिला मुरैना द्वारा सर्वे कमांक 193 रकवा 0.63 आरे मे से 1/3 गनसिंह पुत्र ईश्वरी जाति ठाकुर निवासी सुखपुरा के हिस्सा की भूमि पर मुताविक वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर इश्तहार जारी किया गया नियत अवधि में कोई आपत्ति नहीं आई, आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया आवेदक रामकृपाल सिंह ने अपने कथनों में बताया है कि वसीयत ग्रहीता गजसिंह और बाबा के भाई होकर बाबा लगते थे, गजसिंह के कोई संतान नहीं थी। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी देख रेख एवं खाने पीने की व्यवस्था वही करते थे। वह अपने हिस्से की भूमि अपंजीकृत बसीयत नामा के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया। जिससे परिवेदित होकर चन्द्रभान सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जौरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जिससे दुखी	

होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा विलम्ब क्षमा के संबंध में तथ्यों को छिपाकर असत्य तथ्यों के आधार पर प्रतिप्रार्थी की ओर से विलंब क्षमा का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका विस्तृत उत्तर साक्ष्य द्वारा समर्थित दस्तावेजों के साथ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसका उल्लेख विवादित आदेश के पद 5 में भी किया गया है किन्तु इन आपत्तियों पर कोई विचार ही नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश निरस्त योग्य है। उनके द्वारा अपनी बहस में आगे बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के प्र0क0 19 / अ—6 / 06—07 में पारित आदेश दिनांक 24.4.06 का ज्ञान तत्समय से ही पूर्ण जानकारी थी। उनके द्वारा बताया गया है कि बटवारे का आवेदन स्वयं चन्द्रभान सिंह द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था बटवारे पर चन्द्रभान के हस्ताक्षर भी हैं। अपने तर्क में कहा है कि अपीलाथी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 4.7.09 से ही थी। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया है कि आवेदक की निग॰ स्वीकार की जावे।

4— अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि गजसिंह अनावेदक के परदादा थे। जो आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व फौत हो चुके थे। वसीयतनाम कूटरचित है । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे।

5— मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने, तथा संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों का दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। तहसीलदार ने इश्तहार आदि की कार्यवाही करने के बाद ही नामांतरण की कार्यवही की है जो उचित है। उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी

के न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा पक्षकार को प्रकरण की अद्यतन स्थिति न बताने का तथ्य विलंब क्षमा किये जाने हेतु बताया गया। अधिवक्ता की ओर से कोई अभिवचन पुष्टिकरण में प्रस्तुत नहीं —अन्य ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज समर्थन में प्रस्तुत नहीं— विलंब क्षमा हेतु पुष्टिकरण के अभाव में ऐसा आधार मान्य नहीं।

1— भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 —धारा —5 कार्यवाही में अनुपस्थित व काउन्सेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया जाना, मामले के प्रचलन के विषय में जाचं का प्रयास नहीं किया जाना—विलंब के लिये मांफी के संदर्भ में सदभाविक नहीं कहा जा सकता । लंगरी बनाम छोटा 1192 रा0 नि0 289 जे0एल0जे0 69 पर अविलम्बित।

2— म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत—अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अधिवक्ता केअभिज्ञान में है—आदेश नियत दिनांक को अधिवक्ता ने टीप नहीं किया—आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी।

3— म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—47 अनुचित विलंब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी जौरा का आदेश दिनांक 9.2.16 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस किया जावे।

सदस्य